उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN: U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन ,14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

सं0: /अधि0नि0(वित्त)/निधि–।।/मीटर के दायित्वों का भुगतान/330/2017 दिनांकः 06 फरवरी, 2021

प्रबन्ध निदेशक,
वि0 वि0 नि0 लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल एवं केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

विषय :– मीटर आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान की व्यवस्था/प्रकिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या– 789/अधि0नि0/निधि–।।/मीटर के दायित्वों का भुगतान/330/2017 दिनांक 30.06.2020, पत्र संख्या– 889/अधि0नि0/निधि–।।/मीटर के दायित्वों का भुगतान/330/2017 दिनांक 20.07.2020 एवं सपठित पत्र संख्या– 1844/अधि0नि0/निधि–।।/मीटर के दायित्वों का भुगतान/330/2017 दिनांक 28.12.2020 संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा वितरण निगमोन्तर्गत मीटर आपूर्तिकर्ताओं एवं अनमीटर्ड से मीटर्ड के मद की लम्बित देयताओं के भुगतान हेतु उपभोक्ताओं से मीटर स्थापित किये जाने, खराब मीटर को बदलने एवं निवेश मित्र एवं झटपट संयोजन पोर्टल के माध्यम से स्थापित होने वाले विद्युत संयोजनों हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि में सम्मिलित घटकों (Component) अन्तर्गत विभिन्न मदों का विवरण रखे जाने तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित कर उक्त के अनुपालनार्थ सम्प्रेषित की गयी थी।

उपरोक्त के विषय में डिस्काम स्तर पर उक्त संदर्भित मद में प्राप्त हो रही धनराशियों में से सिक्योरिटी मनी सहित अन्य घटकों की धनराशि का समुचित उपयोग न किये जाने एवं मीटर आपूर्तिकर्ताओं तथा अनमीटर्ड से मीटर्ड मद में अनिस्तारित लम्बित देयताओ के दृष्टिगत अग्रेत्तर यह निर्धारित किया गया है कि वितरण निगमों द्वारा सन्दर्भित मदों/कार्यो हेतु प्राप्त धनराशि में से मात्र जी0एस0टी0 के रूप में प्राप्त हो रही धनराशि को छोड़कर अन्य मदों में प्राप्त हो रही सम्पूर्ण अवशेष धनराशि का उपयोग डिस्कॉम द्वारा मीटर आपूर्तिकर्ताओं एवं अनमीर्टड से मीर्टड मद की देयताओं के भुगतान मद में करते हुए उक्त की प्रगति से कारपोरेशन को अवगत कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में उक्त सन्दर्भित पूर्व पत्रों द्वारा जारी/निर्धारित व्यवस्थायें उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेंगी।

भवदीय,

(सुधीर आर्य)
निदेशक (वित्त)

सं0 213 /अधि0नि0 (वित्त)/निधि–।।/मीटर के दायित्वों का भुगतान/330/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/(वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त)/(वाणिज्य), वि0 वि0 नि0 लि0 मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं निदेशक (वाणिज्य)/उप महाप्रबन्धक (वित्त), केस्को, कानपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराईजेशन) कक्ष संख्या– 407, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट अन्तर्गत ई–बुक (मीटर आपूर्ति के भुगतान सम्बन्धी) पर अपलोड किये जाने हेतु।

(सुधीर आर्य)
निदेशक (वित्त)